डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक
डिस्पेच दिनांक प्रतिमाह 1 व 16

● वर्ष 62 ● अंक 21 ● भोपाल ● 1-15 अप्रैल, 2019 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

लोकसभा निर्वाचन में दिव्यांगजन के 75 प्रतिशत मतदान का लक्ष्य

दिव्यांगजन के सुगम मतदान संबंधी कार्यशाला सम्पन्न

भोपाल। दिव्यांगजन के सुगम मतदान संवेदनीकरण के लिये राज्य स्तरीय कार्यशाला आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल में हुई। कार्यशाला में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने कहा कि विगत चुनाव में 3 लाख 50 हजार दिव्यांगजन के लिये क्यूजम्प, वालंटियर एवं वाहन व्यवस्थाएँ की गयी थी। पिछले चुनाव से और अधिक बेहतर कार्य इस लोकसभा चुनाव में करके दिखाना है। दिव्यांगजन का मतदान प्रतिशत 75 प्रतिशत कराने का प्रयास किया जायेगा। चुनाव प्रक्रिया से छूटे लोगों विशेषकर दिव्यांगजन के लिये गैर सरकारी संगठनों ने भी भरपूर सहयोग किया। सबके सहयोग से विधानसभा निर्वाचन 2018 में दिव्यांगजन द्वारा 61 प्रतिशत मतदान संभव हो सका। यह मतदान प्रतिशत देश के अन्य राज्यों से काफी बेहतर है।

भारत निर्वाचन आयोग के सचिव श्री आनंद कुमार पाठक ने कहा कि मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव 2018 में सबसे बेहतर कार्य किये गये। आयोग के निर्देशों का पालन तीव्र गति से किया गया। शासकीय अधिकारियों–कर्मचारियों के साथ NGO एवं अन्य लोगों ने भी मतदान कराने में सहभागिता की।

श्री पाठक ने कहा कि कई बार मतदाता इच्छा होने के बाद भी मतदान केन्द्र तक पहुँचकर वोट नहीं दे पाता। इसलिये भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की थीम 'भारत के महापर्व इस त्यौहार में कोई भी मतदाता न छूटे' रखी है। दिव्यांगजन अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें, इस उद्देश्य से मतदान केन्द्रों पर मतदान सामग्री सहित कई व्यवस्थाएँ आयोग द्वारा की गयी हैं। आयोग रेडियो, टेलीविजन, कम्युनिटी रेडियो, फेसबुक जैसे विभिन्न माध्यम से दिव्यांगजन को मतदान करने के लिये प्रेरित करने के कार्यक्रम चला रहा है। इसके अलावा देश में लगभग 10 ट्रेनों में मतदाता जागरूकता के प्रचार कार्यक्रम चलायें जायेंगे।

अवर सचिव भारत निर्वाचन आयोग श्री सुजीत कुमार मिश्रा ने संवैधानिक प्रावधान एवं 2016 के अधिनियम की जानकारी दी। श्री मिश्रा ने कहा कि प्रत्येक मत को शामिल कर चुनाव कराया जाना है। हर मतदान केन्द्र को पहुँच योग्य बनाया जायगा, जिससे दिव्यांगजन अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। मत देने के अधिकार का प्रयोग करने के लिये दिव्यांगजन को आने वाली दिक्कतों को दूर करने में मानवीय पहलू का भी ध्यान रखा जाना चाहिये।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अभिजीत अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में किये गये कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ नये कार्यों को भी किया जाना है ताकि दिव्यांगजन अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

कार्यशाला में दिव्यांगजन के सुगम मतदान की सुविधा विस्तार, आधारभूत कठिनाइयों, सुगम्य एप पर श्री के.जी. तिवारी संचालक सामाजिक न्याय, श्री संजीव जैन, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री अनिल मुद्गल, श्री रोहित त्रिवेदी ने विषय–विशेषज्ञ के रूप में व्याख्यान दिये।

कार्यशाला में दिव्यांगजन के सुगम मतदान के लिये नियुक्त जिला समन्वयक एवं जिला स्तर पर दिव्यांगजन के क्षेत्रों में कार्य करने वाले अशासकीय संस्थान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी आरंभ

चना, मसूर और सरसों उपार्जन के लिये आवश्यक तैयारियाँ पूर्ण

भोपाल। किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी प्रारंभ हो गई है। रबी विपणन वर्ष 2019–20 में ई–उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से गेहूँ के साथ–साथ चना, मसूर और सरसों उपार्जन के लिये आवश्यक तैयारियाँ भी की जा रही है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार एफएक्यू गेहूँ का उपार्जन किया जाना है। अतः राज्य शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कृषकों और समितियों को एफएक्यू की जानकारी रहे। इस संदर्भ में किसानों को जानकारी दी जा रही है कि वे अपनी उपज को पंखा–छन्ना लगाकर तथा सुखाकर लायें। भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफएक्यू स्तर के अनुसार चने में खेसरी/तिवड़ा का मिश्रण स्वीकार नहीं किया जाता है। अतः कृषकों से कहा गया है कि वे केवल गुणवत्तायुक्त चना ही उपार्जन के लिये लेकर आये। यह भी अपील की गई है कि कृषक असुविधा से बचने के लिये यथासंभव एसएमएस प्राप्त होने पर ही अपनी उपज तौल के लिये लायें।

गेहूँ उपार्जन के लिये पिछले वर्ष से ज्यादा केन्द्र

गेहूँ उपार्जन के लिये विगत वर्ष की संख्या से अधिक उपार्जन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। केन्द्र निर्धारण में कृषकों की सुविधा को देखते हुए कृषकों की संख्या, मात्रा और दूरी का विशेष ध्यान रखा गया है। गेहूँ विक्रय के लिये मण्डियों में भी प्रभावी व्यवस्था की गई है। भण्डारण सहित कृषकों को समय–सीमा में भुगतान के लिये आवश्यक व्यवस्था की जा रही है।

प्रिन्टिंग नियमों का उल्लंघन होने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान : श्री कौल

प्रिन्टिग प्रेस संचालकों और मालिकों के साथ बैठक सम्पन्न

भोपाल। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कौल ने प्रिन्टिंग प्रेस संचालकों और मालिकों की बैठक में निर्देश दिये कि लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिये आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ ही देश की अखण्डता को प्रभावित करने वाली और धार्मिक भावनाएँ भड़काने वाली बातें तथा किसी जाति, संप्रदाय, वर्ग और व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी व्यक्तिगत बातें न छापी जायें। राजनैतिक प्रचार–प्रसार के लिये छपने वाले पेम्फलेट, पोस्टर, बैनर के लिये छापने के पहले लिखित में आवेदन लें और प्रिन्टिंग सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम और संख्या का अनिवार्यता से उल्लेख किया जायें। ऐसी किसी भी प्रकार की राजनैतिक प्रचार–प्रसार सामग्री न छापी जायें, जिस पर प्रकाशक, संख्या का उल्लेख न हों।

कोई भी व्यक्ति तब तक निर्वाचन पेम्फलेट, पोस्टर मुद्रण या मुद्रित नहीं करवायेगा, जब–तक प्रकाशक की पहचान, घोषणा तथा उनके द्वारा हस्ताक्षरित हों और जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो, द्वारा सत्यापित न हो ।

दस्तावेज मुद्रण के बाद उचित समय पर मुद्रित दस्तावेज की एक प्रति घोषणा की एक प्रति के साथ भेजी जाये। यदि राज्य की राजधानी में दस्तावेज मुद्रित हुआ है, तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा जिले के जिले में मुद्रित हुआ है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी को मुद्रित दस्तावेज उपलब्ध कराया जाये। निर्वाचन पेम्फलेट, पोस्टर पर धर्म, वंश, जाति समुदाय, भाषा, विरोधी के चरित्र हनन या उसके संबंध में अपील मुद्रित न की जाये।

सकारात्मक सोच : कुछ सुझाव

सकारात्मक सोच एक शक्ति, एक शस्त्र है, जो भगवान् ने हमें दिया. इसका प्रयोग कर हम बड़े से बड़े युध्य में विजय प्राप्त कर सकते है. जीवन में हमें कई तरह की परेशानियाँ आती है, ऐसा कोई नहीं है, जिसके जीवन में कोई कठिनाई, परेशानी न हो. हर इन्सान के पास परेशानी है, लेकिन हर इन्सान परेशान, रोता हुआ तो नहीं दिखता. परेशानी के समय भी जो अपनी सोच में काबू रखते है, वे ही उससे लड़कर आगे सफल हो पाते है. मनुष्य के मन में 2 तरह के विचार होते है, सकारात्मक और नकारात्मक.

सकारात्मक सोच कैसे बनाये

कहते है पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग ही जीवन में सफल हो पाते है. आपके मन के विचार आपके स्वाभाव के द्वारा सबके सामने आते है. सकारात्मक सोच वालों के आस पास सभी लोग रहना पसंद करते है. सकारात्मक सोच के लिए सुबह उठते ही आईने के सामने खड़े होकर ये प्रक्रिया अपनाएं

मुस्कराओ

आज मेरा दिन है

मुझे पता है, मैं आज सबसे बेस्ट जगह में हूँ.

मुझे पता है, मैं विजेता हूँ.

मैं अपने लिए खुद जिम्मेदार हूँ.

अपनी डेस्टिनी मै खुद चुन सकता हूँ.

मुझे पता है, ये मैं कर सकता हूँ, और मैं पक्के से कर सकता हूँ.

आप सोच रहे है, ऐसा करने से क्या बदलाव आएगा, मेरी परेशानी ऐसे ठीक नहीं होगी. लेकिन आप विश्वास करें और इस प्रक्रिया को अपनाएं. कहते है शब्दों में बहुत ताकत होती है, अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो वैसा ही होगा, क्यूंकि पॉजिटिव किरणें हमारे आस पास आएँगी. जितना हो सके, अपनी परिस्थति पर पॉजिटिव बोलें.

सकारात्मक सोच लाने के 5 मूलमंत्र

1. विश्वास रखें खुशी एक विकल्प है, जिसे अपने लिए आप खुद चुन सकते है.
2. नकारात्मक भरी जिन्दगी से दूर रहें.
3. हर परिस्थति में सकारात्मक बातें ढूढें.
4. अपने अंदर सकारात्मकता को सुदृढ़ कर लें.
5. खुशियों को दूसरों के साथ बाटें.

सकारात्मक सोच के लिए कुछ अन्य पावरफुल बातें

अच्छा सोचें

हमारी सोच जैसी रहेगी, हम वैसा व्यव्हार करेंगे, और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, और बुरा सोचेगें हो बुरा. हर बात के दो पहलु होते है, एक अच्छा एक बुरा. आप सोच रहे होंगें ये सब बातें सिर्फ कहने की है, इन्सान की

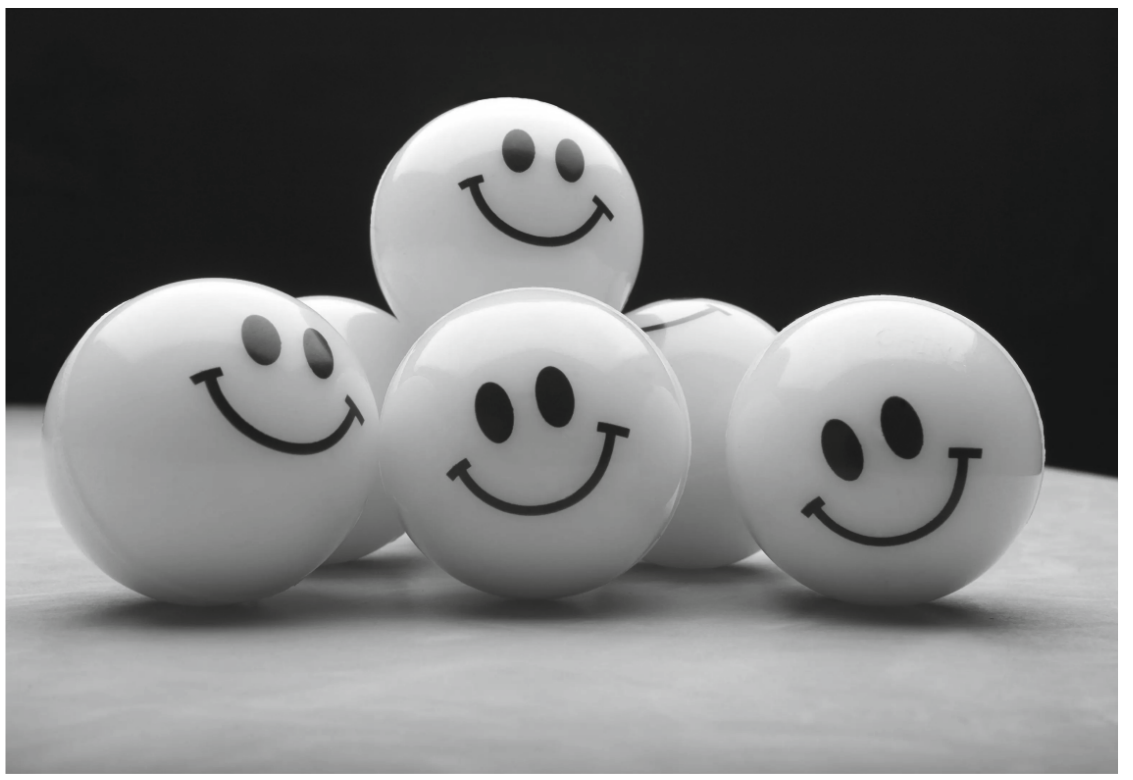

परिस्थति वही समझ सकता है, जिस पर बीतती है. हाँ ये सच है, लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है. जैसे पानी से भरी आधी गिलास को कोई बोलेगा ये आधी भरी, तो कोई बोलेगा ये आधी खाली है. परिस्थति वही है, बस इसे देखने व सोचेने का तरीका अलग है.

एक गेम खेलते है

आप एक जीवन की बहुत कठिन स्थति में है, जहाँ आगे आपको कुछ भी अच्छाई नहीं दिखाई दे रही है. लेकिन इस परिस्थति में आपको एक भलाई, एक अच्छाई ढूढनी है, इसे आप एक चौलेंज की तरह लें. बुरी स्थति में भी सोचो की । क्या अच्छा हो रहा है इस समय. शुरू में कठिनाई महसूस होगी, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत में आ जायेगा.

नजरिया बदलो

हमारी परेशानियों से हमारी खुशी या गम नहीं जुड़ा होता है, हम किस नाजिरिये से इसे देखते है, ये उससे तय होता है. दुनिया में कई ऐसे लोग है, जो जीवन की कठिन परिस्थति में होंगें, लेकिन फिर भी वे सदा मुस्कराते रहेंगें. और कई ऐसे भी लोग होंगें जिनके पास सब कुछ होगा, उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत उन्हें मिली होगी तब भी वे परेशान होंगें. आपको तय करना होगा, आप अपनी लाइफ को किस तरह से देखते हो.

शिकायत मत करो

किसी भी बात के लिए शिकायत मत करो, चिड़चिड़ाओ नहीं. बेकार परिस्तिथि में भगवान, या किसी इन्सान या आपकी किस्मत को मत कोसो, बल्कि उस परिस्थति का दूसरा पहलु देखो.

जैसे अगर आपकी नौकरी चली गई है, तो आप ये सोचो जो काम आपके अभी तक नौकरी की वजह से पुरे नहीं हो पा रहे थे, वो अब आप कर पाओगे, आपके पास अब बहुत समय है, परिवार के लिए अपने लिए. आप ये भी सोचो इससे कहीं बेहतर नौकरी आपके लिए सोच रखी है, बस आपको उसका इंतजार करना है.

अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाता है, सामने वाला आपको बहुत सुनाता है, तो आप ये सोचो वो आपकी कितनी केयर करता है. अगर किसी को किसी की चिंता नहीं होगी तो वो उसे अपना समझकर कुछ कहेगा भी नहीं. इससे आपको शांति भी मिलेगी.

परेशानी पर फोकस मत करो

जब हम अपनी परेशानी पर फोकस करते है, तो हम उसे मौका देते है, कि वो हमारी लाइफ में हक जमा सकें. परेशानी की तरफ ध्यान ही मत दो, अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने की कोशिश करो. परेशानी पर ध्यान लगाने से, परेशान होने से आप भी अपनी परिस्थति को नहीं बदल पायेंगें. इससे आपकी तबियत और आपकी सोच पर ही फर्क पड़ेगा.

लिस्ट बनायें

आप अपने लिए एक लिस्ट बनायें, उसमें वो सब बातें लिखें जिससे आपको खुशी मिलती है, शांति मिलती है. जैसे ही आपके मन में उथल पुथल हो, नेगेटिव बातें आये, आप उस लिस्ट में से एक बात चुन कर उसे करें. जिसे बात से तुरंत शांति, खुशी मिलती है, उसे सबसे उपर रखें. जैसे मैं ऐसी परिस्थति में सबसे पहले प्राथना करती हूँ, परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताती हूँ. गाने सुनती हूँ, बच्चों के साथ खेलती हूँ. ऐसे ही आप भी लिस्ट बनायें.

मोटीवेट करें

किसी इन्सान की मदद करने से भी हमारे अंदर सकारात्मकता आती है. आपके आस पास कोई परेशान है, तो उसका उत्साहवर्धन करे, उसे जीवन की अच्छी बातें बताएं. इसके अलावा किसी को कोई चीज की जरुरत हो, तो उसकी मदद करें.

हमेशा हँसते रहें

एक्सरसाइज करें

ध्यान करें

अच्छे गाने सुनो, किताबें पढ़ो साथ ही पॉजिटिव सकारात्मक वाले अनमोल वचन पढ़ो.

सकारात्मक लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा बातें करे, उन्हें अपनी परेशानी बताएं, उनकी सोच को अपनाने की कोशिश करें.

कई बार ऐसा होता है कि पॉजिटिव बातें सुनकर, उनको पढ़कर तुरंत तो हम अच्छा महसूस करते है, लेकिन जैसे जैसे अपनी लाइफ में व्यस्त होते जाते है, इन बातों को भुलाकर वापस बुरे ख्यालों में चले जाते है. इससे बचने के लिए आप उपर बताई गई बातों को जितना हो सकें याद रखें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें. आप पॉजिटिव बातों के पोस्टर, नोट को अपने रूम में, मिरर बाथरूम के दरवाजे, वाश्बेसन के उपर लगायें. सुबह उठते ही ये बातें आपके सामने होंगी. जिससे दिन की शुरुवात ही पाजिटिविटी से होगी.

लोकसभा निर्वाचन–2019 में GPS से होगी EVM की ट्रेकिंग

भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया है कि लोकसभा निर्वाचन–2019 में ईव्हीएम का परिवहन करने वाले वाहनों पर GPS लगाया जायेगा।

लोकसभा निर्वाचन के दौरान मतदान दलों को मतदान केन्द्र तक लाने–ले जाने में उपयोग होने वाले वाहन, सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा मतदान के दिन अपने वाहनों में रिजर्व EVM का परिवहन एवं मतदान उपरान्त रिजर्व मशीनों को जिलों से राज्य स्तरीय वेयर हाउस तक लाने वाले वाहनों पर GPS लगाया जाएगा, जिससे वाहनों की लोकेशन ली जा सकेगी। वाहनों के ट्रेकिंग के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा।

सहकारी संस्थाओं का परिसमापन

समिति का परिसमापक विभागीय अधिकारी अथवा गैर विभागीय अधिकारी दोनों को बनाया जा सकता है। नियम क्रं. 57 एच के अनुसार परिसमापक का पारिश्रमिक का निर्धारण यदि कोई हो तो वह रजिस्ट्रार के द्वारा निर्धारित किया जावेगा किन्तु गैर विभागीय परिसमापक को सामान्यतः उसके द्वारा वसूल की गई समस्त धनराशि का 5 प्रतिशत तक पारिश्रमिक निश्चित किया जा सकता है।

सहकारी संस्थाओं के परिसमापन से संबंधित विधि एवं प्रकिया का मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 से 72 तक एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 एवं 58 में विस्तृत विवरण दिया गया है।

परिसमापन संबंधी आदेश

धारा 59 की जांच पश्चात, धारा 60 के निरीक्षण उपरांत या कम से कम तीन चौथाई सदस्यों द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार को उचित प्रतीत होने से रजिस्ट्रार द्वारा परिसमापन का आदेश जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण के पश्चात कार्य प्रारंभ न करने, अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन किन्हीं शर्तों का पालन न करने अथवा सदस्यों से ओव्हरड्यू कालातीत मांग वसूल न करने पर रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से भी परिसमापन का आदेश जारी कर सकते है।

परिसमापक की नियुक्ति

धारा 69 के अधीन जारी किये गये आदेश में रजिस्ट्रार द्वारा परिसमापक की नियुक्ति धारा 70 के अधीन की जाती है।

(अ) परिसमापक की नियुक्ति के पश्चात परिसमापक संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों/वस्तुओं तथा कार्यवाही योग्य दावों (एक्शनेबल) का अपने नियंत्रण में ले लेगा एवं सम्पत्तियों, वस्तुओं व दावों की हानि को रोकने के लिये आवश्यक उपाय करेगा।

(ब) परिसमापक की नियुक्ति के पश्चात सोसायटी के संचालक मंडल की समस्त शक्तियां आदेश जारी होने के दिनांक से समाप्त हो जाती है तथा सोसायटी के कर्मचारी परिसमापक के नियंत्रण व पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

(स) नियुक्ति के पश्चात परिसमापक द्वारा परिसम्पत्तियों, वस्तुओं एवं दावों के साथ ही समस्त बैंक खातों को परिसमापक के नाम से परिवर्तित करा लेना चाहिये ताकि संस्था पदाधिकारियों द्वारा राशि का आहरण नहीं किया जा सके।

(द) परिसमापक द्वारा संस्था से सम्पर्क कर नियुक्ति की सूचना लिखित में देकर संस्था का समस्त रिकार्ड अपने आधिपत्य में लेकर रिकार्ड, परिसम्पत्तियों एवं वस्तुओं की सूची तैयार कर उसकी एक प्रति रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना चाहिए एवं रजिस्ट्रार को रिकार्ड प्राप्ति की सूचना देना चाहिये। यह ध्यान रखने योग्य है कि परिसमापन आदेश जारी होने की दिनांक से ही प्रभावशील होता है। (परिसमापक को रिकार्ड प्रभार में मिले या नहीं)

(इ) यदि परिसमापन आदेश अपील में निरस्त कर दिया जाये तो समितियों की परिसम्पत्तियों, वस्तुओं एवं दावे परिसमापक द्वारा पुनः संस्था को सौंप दिये जावेंगे। ऐसी स्थिति में निरस्त आदेश के निर्देश एवं उसमें उल्लेखित निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन आवश्यक होता है।

परिसमापन के दौरान तकनीकी समस्याओं के व्यावहारिक निराकरण हेतु सुझाव

किसी भी संस्था का परिसमापन आदेश प्राप्त होने के पश्चात अथवा परिसमापन के दौरान कई प्रकार की तकनीकी समस्याएं/कठिनाईयां परिलक्षित होती है, समस्याएं एवं उनका हल इस प्रकार हैः—

(1) रिकार्ड प्राप्त न होना :— परिसमापन आदेश प्राप्त होते ही परिसमापक सर्वप्रथम संस्था का रिकार्ड प्राप्त करता है,

किन्तु कतिपय परिस्थितियों में संस्था का रिकार्ड प्राप्त नहीं हो पाता ऐसी स्थितियां निम्न प्रकार की हो सकती है।

सभी ऐसी सहकारी संस्थाओं को चिन्हांकित करने की प्रकिया तत्काल प्रारंभ हो जानी चाहिये जिनमें परिसमापन की स्थिति बन रही है एवं तद्नुसार त्वरित कार्यवाही होना चाहिये।

संस्था का रिकार्ड गुम होने/चोरी होने/आग लग जाने की स्थिति में परिसमापक को चाहिये कि वह संस्था की अंतिम पारित बैलेन्स शीट विभाग से प्राप्त कर उस आधार पर आगामी वर्षो का रिकार्ड तैयार करावे।

(अ) संस्था द्वारा पंजीयन पश्चात रिकार्ड ही तैयार नही किया गया और रिकार्ड अपूर्ण होना।

(ब) रिकार्ड उपलब्ध है किन्तू पूर्व पदाधिकारियों द्वारा परिसमापक को सौंपा नही जा रहा है।

(स) रिकार्ड उपलब्ध था किन्तु गुम होने/चोरी होने/आग लग जाने के कारण नष्ट हो गया।

उक्त स्थितियों से पहली स्थिति में जब रिकार्ड तैयार ही नही किया गया हो या अपूर्ण हो तो परिसमापक को चाहिये की वह पंजीयन फाइल प्राप्त कर रिकार्ड तैयार करावे एवं रिकार्ड तैयार कर चार्ज में प्राप्त करे दूसरी परिस्थिति में रेकार्ड होने पर भी जब पूर्व पदाधिकारियों द्वारा परिसमापक को नहीं सौंपा जा रहा हो वहाँ पर परिसमापक द्वारा लिखित में संस्था के पूर्व पदाधिकारियों को पत्र दिया जाकर समय सीमा निर्धारित की जाना चाहिये एवं समय सीमा समाप्त होने पर भी रेकार्ड प्राप्त नही होता है तो इस संबंध में रजिस्ट्रार को अधिनियम की धारा 57 में रेकार्ड जब्त करने हेतु लिखा जाना चाहिये।

(2) बैंक खातें की जानकारी न होना :— कभी—कभी संस्था निष्क्रिय/अकार्यशील होने की स्थिति में उसका न तो रेकार्ड प्राप्त हो पाता है न ही बैंक खाते की जानकारी प्राप्त होती है ऐसी स्थिति में संस्था की अंकेक्षण टीप प्राप्त कर बैंक खाते की जानकारी एवं जमा राशि का विवरण प्राप्त करना चाहिये यदि अंकेक्षण टीप में भी बैंक के नाम का उल्लेख नही होतो संस्था की पंजीयन फाईल से बैंक शाखा की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(3) प्रकरण न्यायालयीन निराकरण प्रकिया में होने बाबद्:—

परिसमापित संस्था के किसी प्रकरण के संबंध में रिकार्ड जब्त होने पर भी या न्यायालय की अभिरक्षा में होने पर भी परिसमापक को रिकार्ड प्राप्त नही होता है ऐसी स्थिति में संबंधित न्यायालय में परिसमापक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से रिकार्ड की छाया प्रति प्राप्त करने की कार्यवाही करना चाहिये।

(4) आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से रिकार्ड पुलिस कार्यवाही में होना :—

संस्था के पूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों के संबंध में यदि कोई प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान मे कोई रिकार्ड जब्त किया हो तब भी परिसमापक को चार्ज प्राप्त करने में असुविधा हो सकती है ऐसी स्थिति में संबंधित अनुसंधान अधिकारी से सम्पर्क कर सुपुर्दगी अथवा छायाप्रति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जाना चाहिये।

(5) विशेष सजगता व तत्परता के बिंदुः—

परिसमापनाधीन संस्था का परिसमापन आदेश प्राप्त होते ही प्रभार ग्रहण करने की सूचना तत्काल संबंधित विभागों को दी जावेगी भले ही परिसमापक को भौतिक रूप से संस्था का रिकार्ड प्राप्त नही हुआ हो। गृह निर्माण संस्थाओं के संबंध में, रजिस्ट्रार (पंजीयन एवं मुद्रांक) इन्दौर विकास प्राधिकरण संबंधित बैंक, साख संस्थाओं के मामले में संबंधित खाता संचालन कर्ता/वित्त दायी बैंक एवं मत्स्य संस्थाओं के मामले में संबंधित कार्यालय इत्यादि।

(6) संस्था के पास नगद राशि उपलब्ध न होनाः—

परिसमापन में लाई गई सोसायटी के पास यदि नगद राशि उपलब्ध नहीं है एवं बैंक में खाता भी नहीं है यदि खाता है किन्तु उसमें भी पर्याप्त राशि नहीं है ऐसी स्थिति में परिसमापक को आमसभा आयोजित करने व सदस्यों को आमसभा की सूचना देने में कठिनाई आ सकती है ऐसी स्थिति में कार्यालय के माध्यम से जिला सहकारी संघ को आमसभा आयोजित करने बाबद् सूचना प्रकाशित करने हेतु अनुरोध किया जा सकता है।

परिसमापन कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण

- परिसमापक की नियुक्ति की संस्था को लिखित में सूचना देना।
- संस्था के समस्त अभिलेख, आस्तियां, नगद सिल्लक अपने आधिपत्य में लेना।
- संस्था के समस्त बैंक खातों को परिसमापक के नाम से हस्तांतरित कराना।
- नियम 57 (सी/ग) के तहत दावे का सूचना—पत्र जारी करना
- आवश्यक होने पर नियम 57 (डी/घ) के तहत अंशदान/परिसमापन व्यय हेतु औपचारिक आदेश जारी करना।
- संस्था के समस्त दायित्वों का चुकारा करना एवं आस्तियों/ऋणों की वसूली कर बैलेन्स शीट को निरंक (0) करना।
- परिसमापन की दिनांक पर शेष रहे सदस्यों की आमसभा बुलाना।
- शेष रही आस्तियों/नगद राशियों को धारा 72 के तहत रजिस्ट्रार के निर्देशानुसार लगाना।
- अंतिम अंकेक्षित बैलेन्स शीट एवं आमसभा की कार्यवाही के साथ रजिस्ट्रार को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- अधिनियम की धारा 71 (3) के तहत रजिस्ट्रार के निर्देशानुसार संस्था के सभी अभिलेख जमा करना।

मुर्गीपालन व्यवसाय

मुर्गीपालन ब्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। बहुत कम लागत से शुरू होने वाला यह व्यवसाय लाखों–करोड़ों का मुनाफा दे सकता है। इसमें शैक्षणिक योग्यता और पूंजी से अधिक अनुभव और मेहनत की दरकार होती है. आज के समय में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में युवा मुर्गीपालन को रोजगार का माध्यम बना सकते हैं।

अगर आपके पास औरों से अलग सोचने की क्षमता है, तो आप मुर्गीपालन ब्यवसाय से भी करोड़ों का मुनाफा कमा सकते हैं। मुर्गीपालन ब्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसे बहुत कम लागत से शुरू करके लाखों–करोड़ों रुपए का लाभ कमा सकते हैं। सुगुना पोल्ट्री के बी सौदारराजन और जीबी सुंदरराजन का उदाहरण सबके सामने है। इन्होंने मुर्गीपालन ब्यवसाय के बहुत छोटे से अपनी शुरुआत की और देखते ही देखते उनका यह मुर्गीपालन ब्यवसाय 4200 करोड़ की कंपनी में बदल गया। और तो और इस कंपनी ने 18 हजार किसानों को भी आय का बेहतर अवसर प्रदान किया। भारत में पोल्ट्री की शुरुआत मुख्यतया 1960 से हुई। पिछले तीन दशकों में मुर्गीपालन ब्यवसाय ने उद्योग का रूप ले लिया है।

मुर्गीपालन ब्यवसाय एनिमल हसबैंड्री के तहत ही आता है जिस का उद्देश्य खाद्यान्नों में मीट और अंडों का प्रबंधन करना है। भारत के लगभग 30 लाख लोग मुर्गीपालन ब्यवसाय से जुड़े हुए हैं और हर वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में इसका 33 हजार करोड़ का योगदान है।

मुर्गीपालन ब्यवसाय भारत में 8 से 10 प्रतिशत वार्षिक औसत विकास दर के साथ कृषि क्षेत्र का तेजी के साथ विकसित हो रहा एक प्रमुख हिस्सा है। इसके परिणाम–स्वरूप भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अण्डा उत्पादक(चीन और अमरीका के बाद) तथा कबाब चिकन मांस का 5वां बड़ा उत्पादक देश (अमरीका, चीन, ब्राजील और मैक्सिको के बाद) हो गया है। कुक्कुट क्षेत्र का सकल राष्ट्रीय उत्पाद में करीब 33000 करोड़ रु. का योगदान है और अगले पांच वर्षों में इसके करीब 60000 करोड़ रु. तक पहुंचने की संभावना है। 352 अरब रुपए से अधिक के कारोबार के साथ यह क्षेत्र देश में 30 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध् कराता है तथा इसमें रोजगार के अवसरों के सृजन की व्यापक संभावनाएं हैं।

पिछले चार दशकों में मुर्गीपालन ब्यवसाय क्षेत्र में

शानदार विकास के बावजूद, कुक्कुट उत्पादों की उपलब्धता तथा मांग में काफी बड़ा अंतर है। वर्तमान में प्रति व्यक्ति वार्षिक 180 अण्डों की मांग के मुकाबले 46 अण्डों की उपलब्धता है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति वार्षिक 11 कि. ग्रा. मीट की मांग के मुकाबले केवल 1.8 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति कुक्कुट मीट की उपलब्धता है। इस प्रकार घरेलू मांग को पूरा करने के वास्ते अण्डों के उत्पादन में चार गुणा तथा मीट के उत्पादन में छः गुणा किए जाने की आवश्यकता है। यदि हम घरेलू मांग के साथ–साथ निर्यात बाजार में भारत के हिस्से का लेखा–जोखा देखें तो देश में कुक्कुट उत्पादों के उत्पादन में व्यापक अंतर है। जनसंख्या में वृद्वि जीवनचर्या में परिवर्तन, खाने–पीने की आदतों में परिवर्तन, तेजी से शहरीकरण,प्रति व्यक्ति आय में वृद्वि स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरुकता, युवा जनसंख्या के बढ़ते आकार आदि के कारण कुक्कुट उत्पादों की मांग में जबर्दस्त वृद्वि हुई है। वर्तमान बाजार परिदृश्य में कुक्कुट उत्पाद उच्च जैविकीय मूल्य के प्राणी प्रोटीन का सबसे सस्ता उत्पाद है।

भारत, चीन और अमरीका के बाद विश्व का सबसे ज्यादा अंडा उत्पादक देश है और अमरीका, चीन, ब्राजील और मैक्सिको के बाद विश्व का पांचवां सबसे से ज्यादा चिकन उत्पादक देश है।मुर्गीपालन ब्यवसाय से भारत में बेरोजगारी भी काफी हद तक कम हुई है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर बैंक से लोन लेकर मुर्गीपालन ब्यवसाय की शुरुआत की जा सकती है और कई योजनाओं में तो बैंक से लिए गए लोन पर सरकार सबसिडी भी देती है। कुल मिलाकर इस व्यवसाय के जरिए मेहनत और लगन से सिफर से शिखर तक पहुंचा जा सकता है।

मुर्गी पालन व्यवसाय क्या है?

मांस और अंडे की उपलब्धता के लिए मुर्गी और बतख को पालने के व्यवसाय को मुर्गीपालन कहा जाता है। खाद्यान्नों की बढ़ती मांग ने इस व्यवसाय को चार चांद लगाए हैं।

मुर्गीपालन ब्यवसाय के लिये शैक्षणिक योग्यता :

इस व्यवसाय में आने के लिए शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं होती। फिर भी, एनिमल साइंस और जीव विज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। जो लोग वैटरिनरी साइंस में ग्रेजुएट हैं, वे पोल्ट्री फार्मिंग को व्यवसाय के रूप में चुन सकते हैं।

मुर्गीपालन ब्यवसाय के लिये आवश्यक व्यक्तिगत कौशल :

पोल्ट्री फार्म के व्यवसाय में कुछ कौशल होना अनिवार्य हैं। जिनमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं–

- पोल्ट्री का ज्ञान हो ,जिसमें मुर्गियों की देखभाल भी शामिल है।
- मुर्गियों के स्वास्थ्य की देखभाल करने का ज्ञान।
- मुर्गियों को बीमारी से कैसे बचाना है, इसकी जानकारी।
- पोल्ट्री व्यवसायी के लिए मेहनती होना जरूरी है।
- पोल्ट्री फार्म के आसपास के इलाके के रखरखाव का ज्ञान हो।

इस क्षेत्र के व्यवसायी के लिए स्वस्थ होना जरूरी है। उसे अस्थमा और दूसरी सांस संबंधी बीमारी नहीं होनी चाहिए।

विष्ठा से खाद भी

मुर्गी की विष्ठा का खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है, जिससे फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है। 40 मुर्गियों की विष्ठा में उतने ही पोषक तत्त्व होते हैं जितने कि एक गाय के गोबर में होते हैं।

मुर्गीपालन ब्यवसाय से संबद्ध अन्य व्यवसाय

पोल्ट्री सिर्फ चिकन और अंडों का व्यवसाय नहीं है। अब यह व्यवसाय इतना एडवांस हो गया है कि युवक और युवतियां इस में अपना कैरियर ब्रायलर, प्रोसेसिंग प्लांट मैनेजर, अनुसंधान, शिक्षा, बिजनेस, कंसल्टेंट, प्रबंधक, विज्ञापक, उत्पाद प्रौद्योगिकीविद, फीडिंग प्रौद्योगिकीविद, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, हैचरी मैनेजर, पोल्ट्री वैटरिनेरियन, एग्रीकल्चरल इंजीनियर और जेनेटीसिस्ट के रूप में बना सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि योजनाबद्ध तरीके से मुर्गीपालन किया जाए तो कम खर्च में अधिक आय की जा सकती है। बस तकनीकी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। वजह, कभी–कभी लापरवाही के कारण इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को भारी क्षति उठानी पड़ती है। इसलिए मुर्गीपालन में ब्रायलर फार्म का आकार और बायोसिक्योरिटी (जैविक सुरक्षा के नियम) पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

कृषि विज्ञान केंद्र कोटवां के पशुपालन वैज्ञानिक डॉ. एलसी वर्मा के मुताबिक मुर्गियां तभी मरती हैं जब उनके रखरखाव में लापरवाही बरती जाए। मुर्गीपालन में हमें कुछ तकनीकी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। मसलन ब्रायलर फार्म बनाते समय यह ध्यान दें कि यह गांव या शहर से बाहर मेन रोड से दूर हो, पानी व बिजली की पर्याप्त व्यवस्था हो। फार्म हमेशा ऊंचाई वाले स्थान पर बनाएं ताकि आस–पास जल जमाव न हो। दो पोल्ट्री फार्म एक–दूसरे के करीब न हों। फार्म की लंबाई पूरब से पश्चिम हो। मध्य में ऊंचाई 12 फीट व साइड में 8 फीट हो। चौड़ाई अधिकतम 25 फीट हो तथा शेड का अंतर कम से कम 20 फीट होना चाहिए। फर्श पक्का होना चाहिए। इसके अलावा जैविक सुरक्षा के नियम का भी पालन होना चाहिए। एक शेड में हमेशा एक ही ब्रीड के चूजे रखाने चाहिए। आल–इन–आल आउट पद्धति का पालन करें। शेड तथा बर्तनों की साफ–सफाई पर ध्यान दें। बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रखना चाहिए। कुत्ता, चूहा, गिलहरी, देशी मुर्गी आदि को शेड में न घुसने दें। मरे हुए चूजे, वैक्सीन के खाली बोतल को जलाकर नष्ट कर दें, समय–समय पर शेड के बाहर डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव व टीकाकरण नियमों का पालन करें। समय पर सही दवा का प्रयोग करें। पीने के पानी में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करें।

मुर्गा मंडी की गाड़ी को फार्म से दूर खड़ा करें। मुर्गी के शेड में प्रतिदिन 23 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। एक घंटे अंधेरा रखा जाता है। इसके पीछे मंशा यह कि बिजली कटने की स्थिति में मुर्गियां स्ट्रेस की शिकार न हों। प्रारम्भ में 10 से 15 दिन के अंदर तक दो वर्ग फीट के कमरे में 40 से 60 वाट के बल्ब का प्रयोग करने से चूजों को दाना–पानी ग्रहण करने में सुविधा होती है। इसके बाद 15 वाट बल्ब का प्रकाश पर्याप्त होता है।

पोल्ट्री व्यवसाय में आय की कोई सीमा नहीं है। इस कार्य क्षेत्र में आय आपकी मेहनत पर ही निर्भर करती है। आपके व्यवसाय का प्रसार कितना है आपकी आय भी उसी अनुपात में होगी। अनुसंधान और शिक्षण के क्षेत्र में प्रतिमाह 40 से 50 हजार रुपए कमाए जा सकते हैं। निजी पोल्ट्री फार्म में अनुभव और योग्यता के आधार पर 20 हजार से 75 हजार प्रतिमाह कमाए जा सकते हैं।

कुक्कुट उत्पादों की इस बढ़ती मांग से कुक्कुट उद्योग में विभिन्न श्रेणियों के एक करोड़ से अधिक रोजगार सृजन की आशा है।कुक्कुट विज्ञान में रोजगार के अवसर कुक्कुट विज्ञान में रोजगार के बहुत अवसर हैं। इसमें कोई व्यक्ति अनुसन्धान, शिक्षा, बिजनेस, कंसलटेंट, प्रबंधक, प्रजनक, विज्ञापक, कुक्कुट हाउस, कुक्कुट अर्थशास्त्री आदि का विकल्प चुन सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत से अवसर हैं जो कि व्यक्ति विशेष की अभिरुचि तथा योग्यता पर निर्भर करता है।

सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण

संस्थान की समस्त गतिविधियों की समीक्षा, प्रबंध की कुशलता एवं दक्षता में सुधार लाने के लिए अपरिहार्य साधन के रूप में अंकेक्षण जरूरी है, ताकि प्रबंधन गत वर्ष के नियोजन, उपलब्धियों, अनियमितताओं और उनके संभावित कारणों की समीक्षा के पश्चात् सुधार हेतु व्यावहारिक एवं आवश्यकतानुसार उचित कदम उठाने में सक्षमता प्राप्त कर सकें।

अंकेक्षण से आशय किसी संस्था की :–

1. हिसाब–किताब की पुस्तकों की जांच।
2. एक योग्य, निष्पक्ष, विवेकपूर्ण व्यक्ति या एजेन्सी द्वारा जांच।
3. जांच का आधार संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रमाणकों, प्रपत्रों, सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण से।
4. एक निश्चित अवधि की जांच।
5. एक निश्चित अवधि के पश्चात् तैयार किए गए लाभ हानि खाते तथा चिट्ठे (अन्तिम खाते) की सत्यता एवं उचितता की स्थिति का पता लगाना।
6. जांच करना कि उपलब्ध सूचनायें एवं रिकार्ड्स के नियमों–उपनियमों के अनुसार बनाये गये है.

अंकेक्षण एक वित्तीय और सभी प्रांसगिक आंकड़ों, सूचनाओं, पत्रकों, लेखों, परिचालन और उपलब्धियों तथा प्रतिवेदनों का स्वतंत्र और व्यवस्थित समाकलन है। प्रत्येक अंकेक्षक, उसके सामने संपरीक्षा हेतु प्राप्त प्रस्ताव के अनुसरण में तटस्थ जांच करते हुए साक्ष्य संग्रहण द्वारा अपने निष्कर्ष निकालता है, जिन्हें अंकेक्षण प्रतिवेदन द्वारा संसूचित करता है।

अंकेक्षण के उद्देश्य

1. विधान एवं उपनियमों के विरूद्ध हुई अनियमितताओं का पता लगाना।
2. विभागीय अपेक्षाओं के अनुरूप गुणवत्ता लाना।
3. यह निश्चित एवं प्रमाणित करना कि निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अन्तर्गत कार्य किया गया है।
4. अधिनियमों तथा उपनियमों के अनुसार कार्य किया जा रहा है।
5. नियमों एवं विभागीय आदेशों के अनुसार समस्त लेखा पुस्तकें रखी गई है।
6. आय–व्यय एवं किए गए व्यवसाय का प्रमाणन।
7. संपत्ति एवं दायित्वों का सत्यापन एवं मूल्यांकन ।
8. प्रबन्ध समिति/संचालक मण्डल अथवा साधारण सभा के निर्देशों एवं निर्णयों की अनुपालन की पुष्टि।
9. कार्य की नियमानुकूलता की जांच करना एवं विकास के लिए उचित सुझाव देना ।
10. संस्थान ने जो व्यवहार किए हैं, उनसे उद्देश्यों की पूर्ति कहां तक हो सकी है तथा सदस्यों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास किस सीमा तक हुआ है।
11. संस्थान द्वारा प्राप्त शासकीय सहायता/अधिकोष या अन्य स्त्रोतों से प्राप्त ऋण आदि का परीक्षण एवं उपयोगिता की जांच करना ।
12. संस्थान के पास उपलब्ध संपत्ति एवं उपयोग का परीक्षण करना।

अंकेक्षण एवं सहकारिता

1. एक सहकारी संस्था व्यक्तियों की एक ऐसी स्वायत्त संस्था होती है, जो संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतंत्रिय आधार पर नियंत्रित उद्यम के जरिए अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक ओर सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट होते है। ऐसी संस्थाओं में अंकेक्षण का महत्व और अधिक होता है।
2. सहकारी संगठन एक वैधानिक ईकाई के रूप में निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) तथा लोकतांत्रिक उपक्रम होते हैं। इसलिए यह आवश्यक है, कि इनके लेखे पूर्णतः प्रमाणिक और सभी पक्षों को स्वीकार्य होना चाहिए।
3. एक सहकारी संस्था के अंकेक्षण से आशय सहकारी संस्था के आर्थिक एवं प्रशासकीय अंकेक्षण से है, जिसमें लेखों की बुद्धिमत्तापूर्ण निष्पक्ष तथा विवेचनात्मक ऐसी जांच जो ऐसे प्रमाणकों व प्रपत्रों से की जाती है, जिनकी सहायता से लेखे संधारित किये गए हों।
4. शंका होने पर इन प्रमाणकों की सूचना व स्पष्टीकरण के आधार पर जांच की जाती है, जिससे प्रमाणित होता है कि, निश्चित अवधि के लिए बनाए गए हिसाब, व्यापार व लाभ–हानि की स्थिति सही एवं नियमों–उपनियमों के अनुसार है।
5. सहकारी अंकेक्षण लेखों की जांच से आगे कुछ और है जिससे इसे सामान्य अंकेक्षण से अलग माना जाता है। इसमें संस्था ने जो व्यवहार किए है, उनसे उद्देश्य की पूर्ति कहां तक हो सकती है।
6. सदस्यों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास किस सीमा तक हुआ है, सहकारिता के सिद्धांतों का पालन किस सीमा तक होता है, आदि बातों की जांच भी करनी होती है।
7. इसमें सहकारी आंदोलन की उपादेयता की जांच भी करना आवश्यक हो जाता है।

अतः सहकारी अंकेक्षण का उद्देश्य न सिर्फ लेखाबहियों की सत्यता एवं उचितता का पता लगाना है, बल्कि इसमें समस्त प्रशासकीय कार्यों का मूल्यांकन भी शामिल है, इसीलिए सहकारी अंकेक्षण वित्तीय अंकेक्षण मात्र न होकर प्रशासनिक अंकेक्षण भी है।

अन्य बातें जो ध्यान में रखना है:

- किसी भी संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म को किसी सोसाइटी का लगातार 2 वर्षों से अधिक कालावधि के लिये संपरीक्षा हेतु नियुक्त नहीं किया जावेगा तथा सतत अंकेक्षण एवं वैधानिक अंकेक्षण एक साथ आवंटित नहीं किये जावेंगे।
- संपरीक्षक को वित्तीय पत्रक प्रस्तुति की समयावधि तथा संपरीक्षा प्रतिवेदन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करने की समयावधि का निर्धारण भी किया गया है।
- संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म द्वारा प्रस्तुत संपरीक्षा प्रतिवेदन का रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा परीक्षण किया जावेगा तथा यदि वित्तीय पत्रकों में सुधार किये जाने की आवश्यकता होती है तो रजिस्ट्रार के ऐसे निर्देश पर संशोधित प्रतिवेदन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।
- संपरीक्षक एवं संपरीक्षक फर्म के द्वारा की गई संपरीक्षा के संस्थागत मूल्यांकन का प्रारूप भी जारी किया गया है प्रत्येक संस्था को निर्धारित प्रारूप में संपरीक्षक द्वारा किये गये कार्य की गुणवत्ता के संबंध में अपना अभिमत दिया जाना अनिवार्य है।
- म.प्र. सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम क्र. 50 (15) के पालन में राजभाषा हिन्दी में संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। शीर्ष सहकारी संस्थाओं जिनका टर्न ओवर 100 करोड़ से अधिक है के संपरीक्षा प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर भी रखा जाना अनिवार्य किया गया है।
- सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण हेतु पंजीयक के स्थान पर संस्था का दायित्व निर्धारित किया गया है। पूर्व में अंकेक्षण आवंटन आदेश पंजीयक कार्यालय द्वारा जारी किये जाते थे वर्तमान प्रावधान में संस्थाओं को अंकेक्षक के चयन/नियुक्ति का अधिकार दिया गया हैं।
- परन्तु यह और कि प्रत्येक सहकारी बैंक और ऐसी सोसाइटियों में जहां कि राज्य सरकार ने उनकी अंश पूंजी में अभिदाय दिया हो या ऋण या वित्तीय सहायता दी हो या किसी अन्य रूप में दिए गए प्रतिदाय प्रत्याभूति दी है या सोसाइटी ने सरकार द्वारा प्रायोजित कोई कारबार किया हो या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधि के रूप में कोई क्रियाकलाप किया हो और उपरोक्त दो कारबारों की कुल राशि पृथकतरू या संयुक्त रू 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो, तो रजिस्ट्रार द्वारा संपरीक्षा कराए जाने के लिए संपरीक्षक या संपरीक्षक फर्म की नियुक्ति अनुमोदित पैनल में से की जाएगी
- अंकेक्षण आवंटन आदेश संस्थाओं द्वारा ही जारी किये जाने है। यदि संस्था की वार्षिक साधारण सभा द्वारा पंजीयक कार्यालय के विभागीय अंकेक्षक से अंकेक्षण कराने का प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में विभागीय अंकेक्षक को कार्यालय द्वारा अधिकृत किया जावेगा।
- अंकेक्षकों की योग्यता एवं अनुभव का निर्धारण करने का अधिकार रजिस्ट्रार के दिया गया है, जिसके पालन में रजिस्ट्रार द्वारा संस्थाओं एवं अंकेक्षकों का उनके कारोबार के आधार पर पृथक–पृथक तीन श्रेणीयों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम श्रेणी 'क' में समस्त जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, 5 करोड़ से अधिक कुल ऋण अग्रिम से शेष वाले नागरिक सहकारी बैंक एवं 100 करोड़ से अधिक कारोबार करने वाली संस्थाएं सम्मिलित की गई हैं।
- द्वितीय श्रेणी 'ख' में 1 करोड तथा 5 करोड़ से अधिक तक के ऋण अग्रिम शेष वाले नागरिक सहकारी बैंक एवं 10 करोड़ से 100 करोड़ तक अन्य संस्थायें सम्मिलित हैं।
- अंतिम श्रेणी 'ग' में 10 करोड़ तक का करोबार करने वाली संस्थायें सम्मिलित है।
- संस्थाओं के कारोबार के अनुपात में सनदी लेखापाल फर्म एवं विभागीय अंकेक्षकों की योग्यता व अनुभव का निर्धारण किया जाकर तीन श्रेणीयों में विभाजित किया गया है।
- नवीन प्रावधानों के पालन में संस्थाओं को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का संपरीक्षा प्रतिवेदन 30 सितम्बर तक प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया हैं।
- धारा 56 के प्रावधान के तहत प्रति वर्ष अंकेक्षित वित्तीय पत्रक विभाग को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं तथा नियम 50–क के तहत नियत शुल्क भी इस हेतु चालान द्वारा जमा करना आवश्यक है।

डेयरी पशुओं का आवास

पशु का आवास जितना अधिक स्वच्छ तथा आरामदायक होता है, पशु का स्वस्थ उतना ही अधिक अच्छा रहता है जिससे वह अपनी क्षमता के अनुसार उतना ही अधिक दुग्ध उत्पादन करने में सक्षम हो सकता है। अतः दुधारू पशु के लिए साफ सुथरी तथा हवादार पशुशाला का निर्माण आवश्यक है क्योंकि इसके आभाव से पशु दुर्बल हो जाता है और उसे अनेक प्रकार के रोग लग जाते है।

एक आदर्श गौशाला बनाने के लिए निम्न लिखित बातों का ध्यान रखना चाहिएः

स्थान का चयनः

गौशाला का स्थान समतल तथा बाकि जगह से कुछ ऊँचा हिना आवश्यक है ताकि वर्ष का पानी,मल–मूत्र तथा नालियों का पानी आदि आसानी से बाहर निकल सके। यदि गहरे स्थान पर गौशाला बनायीजाती है तो इसके चरों ओर पानी तथा गंदगी एकत्रित होती रहती है जिससे गौशाला में बदबू रहती है। गौशाला के स्थान पर सूर्य के प्रकाश का होना भी आवश्यक हैद्य धुप कम से कम तीन तरफ से लगनी चाहिए। गौशाला की लम्बाई उत्तर–दक्षिण दिशा में होने से पूर्व व पश्चिम से सूर्य की रोशनी खिड़कियों व दरवाजों के द्वारा गौशाला में प्रवेश करेगी। सर्दियों में ठंडी व बर्फीली हवाओं से बचाव का ध्यान रखना भी जरूरी है।

स्थान की पहुंच :

गौशाला का स्थान पशुपालक के घर के नज़दीक होना चाहिए ताकि वह किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र गौशाला पहुंच सके। व्यापारिक माप पर कार्य करने के लिए गौशाला का सड़क के नज़दीक होना आवश्यक है ताकि दूध ले जाने, दाना, चारा व अन्य सामान लेन–लेजाने में आसानी हो तथा खर्चा भी कम हो।

बिजली,पानी की सुविधाः

गौशाला के स्थान पर बिजली व पानी की उपलब्धता का भी ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि डेयरी के कार्य के लिए पानी की पर्याप्त मात्रा में जरूर होती है। ईसी प्रकार वर्तमान समय में

गौशाला के लिए बिजली का होना भी आवश्यक है क्योंकि रात को रोशनी के लिए तथा गर्मियों में पंखों के लिए इसकी जरूरत होती है।

चारे, श्रम तथा विपणन की सुविधाः

गौशाला के स्थान का चयन करते समय चारे की उपलब्धता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि चारे के बिना दुधारू पशुओं का पालना एक असम्भव कार्य है।हरे चारे के उत्पादन के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचित कृषि योग्य भूमि का होना भी आवश्यक है।चारे की उपलब्धता के अनुरूप ही दुधारू पशुओं की संख्या रखी जानी चाहिए।पशुओं के कार्य के लिए श्रमिक की उपलब्धता भी उस स्थान पर होनी चाहिए क्योंकि बिना श्रमिक के पड़े पैमाने पर डेयरी का कार्य करना अत्यन्त कठिन होता है।डेयरी के उत्पाद जैसे दूध,पनीर,खोया आदि के विपणन की सुविधा भी पास में होना आवश्यक है अतः स्थान का चयन करते समय डेयरी के उत्पाद के विपणन सुविधा को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

स्थान का वातावरण :

पशुशाला एक साफ–सुथरे वातावरण में बनानी चाहिए। प्रदूषित वातावरण पशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है जिससे दुग्ध उत्पादन में कमी हो सकती है। पशुशाला के आसपास जंगली जानवरों का प्रकोप बहुत ही कम अथवा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए ताकि इनसे दुधारू पशुओं को खतरा न हो।

पशुओं के आवास बनाने की विधि :

दुधारू पशुओं का आवास सामान्यतः दो प्रकार का होता हैः(क) बंद आवास तथा (ख) खुला आवास

(क) बंद आवास :

इस विधि में पशु को बांध कर रखा जाता है तथा उसे उसी स्थान पर दाना–चारा दिया जाता है। पशु का दूध भी उसी स्थान पर निकाला जाता है। इसमें पशु को यदि चरागाह की सुविधा हो तो केवल चराने के लिए ही कुछ समय के लिए खोला जाता है अन्यथा वह एक ही स्थान पर बना रहता है।

इस प्रकार के आवास में कम स्थान की आवश्यकता है, पशुओं को अलग–अलग खिलाना, पिलाना संभव है, पशु की बिमारी का आसानी से पता लग जाता है तथा पशु आपस में लदी नहीं कर सकते। इस प्रकार के आवास में इन लाभों के साथ–साथ इस विधि में कुछ कमियां भी है जैसे कि आवास निर्माण अधिक खर्चीला होता है, स्थान बढाए बगैर पशुओं की संख्या बढाना मुश्किल होता है, पशुओं को पूरी आज़ादी नहीं मिल पाती तथा मद में आए पशु का पता लगाना थोडा मुश्किल होता है।

(ख) खुला आवास :

इस विधि में पशुओं को एक घीरी हुई चार दीवारों के अन्दर खुला छोड़ दिया जाता है तथा उनके खाने व पीने की व्यवथा उसी में की जाती है।इस आवास को बनाने का खर्च अपेक्षकृत कम होता है। इसमें श्रम की बचत होती है, पशुओं को ज्यादा आराम मिलता है तथा मद में आए पशु का पता आसानी से लगाया जा सकता है। इस विधि की प्रमुख कमियों में : इसमें अधिक स्थान की आवश्यकता पडती है, पशुओं को अलग–अलग खिलाना संभव नहीं है तथा मद में आए पशु दूसरे पशुओं को तंग करते है।

(ग) अर्ध खुला आवास :

अर्ध खुला आवास बंद तथा पूर्ण आवासों की कमियों को दूर करता है। अतः आवास की यह विधि पशु पालकों के लिए अधिक उपयोगी है। इसमें पशु को खिलाते, दूध निकालते अथवा इलाज करते समय बाँधा जाता है, बाकी समय में उसे खुला रखा जाता है। इस आवास में हर पशु को 12–14 वर्ग मी. जगह की आवश्यकता होती है जिसमें से 4. 25 वर्ग मी. (3.5 1.2 मी.) ढका हुआ तथा 8.6 व.मी.खुला हुआ रखा जाता है। व्यस्क पशु के लिए चारे की खुरली (नांद) 75 सेमी. छड़ी तथा 40 सेमी. गहरी रखी जाती है जिसकी अगली तथा पिछली दीवारें क्रमशः 75 व 130 सेमी.होती है। खड़े होने से गटर (नाली) की तरफ 2.5–4.0 सेमी. होना चाहिए। खड़े होने का फर्श सीमेंट अथवा ईंटों का बनाना चाहिए। गटर 30–40सेमी. चौड़ा तथा 5–7 सेमी. गहरा तथा इसके किनारे गोल रखने चाहिए। इसमें हर 1.2 सेमी. के लिए 2.5 सेमी. ढलान रखना चाहिए। बाहरी दीवारें 1.5 मी. ऊँची रखी जानी चाहिएद्य इस विधि में बछड़े–बछड़ियों तथा ब्याने वाले पशु के लिए अलग से ढके हुए स्थान में रखने की व्यवस्था की जाती है। प्रबंधक के बैठने तथा दाने चारे को रखने के लिए भी ढके स्थान रखा जाता है।

गर्मियों के लिए शैड के चारों तरफ छायादार पेड़ लगाने चाहिए तथा सर्दियों तथा बरसात में पशुओं को ढके हुए भाग में रखना चाहिए। सर्दियों में ठंडी हवा से बचने के लिए बोरे अथवा पोलीथीन के पर्दे लगाए जा सकते हैं।

पशुशाला एक साफ–सुथरे वातावरण में बनानी चाहिए। प्रदूषित वातावरण पशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है जिससे दुग्ध उत्पादन में कमी हो सकती है। पशुशाला के आसपास जंगली जानवरों का प्रकोप बहुत ही कम अथवा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए ताकि इनसे दुधारू पशुओं को खतरा न हो।

प्रदेश के 141 अधिकारी प्रेक्षक के रूप में नियुक्त

भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल कान्ता राव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश के 141 अधिकारी 2019 में होने वाले लोकसभा/ विधानसभा निर्वाचन में प्रेक्षक के रूप में नियुक्त होंगे। इनमें 80 आई.ए.एस, 26 आई.पी. एस. और 35 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होंगे।

एटीएम धोखाधड़ी से संबंधित सावधानियां

बैंक के सम्मुख एटीएम की सुरक्षा के साथ उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा भी एक चुनौती बनी हुई है। यद्यपि एटीएम एवं इसके उपयोगकर्ताओं के लिए बैंक द्वारा सुरक्षा हेतु मापदण्ड निर्धारित किये गए हैं, जिनमें चूक होने से अप्रिय घटनाएं होने का डर बना रहता है, अतः ग्राहकों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे एटीएम का उपयोग करते समय बैंक द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करें एवं पूर्ण सावधानी बरतें। इस संबंध में निम्न बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(क) ग्राहकों हेतु सावधानियां

बैंक के सम्मुख एटीएम की सुरक्षा के साथ उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा भी एक चुनौती बनी हुई है। यद्यपि एटीएम एवं इसके उपयोगकर्ताओं के लिए बैंक द्वारा सुरक्षा हेतु मापदण्ड निर्धारित किये गए हैं, जिनमें चूक होने से अप्रिय घटनाएं होने का डर बना रहता है, अतः ग्राहकों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे एटीएम का उपयोग करते समय बैंक द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करें एवं पूर्ण सावधानी बरतें। इस संबंध में निम्न बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(अ) पिन एवं कार्ड के संबंध में

- बैंकों द्वारा पिन नंबर 'वन टाईम पासवर्ड' द्वारा जनरेट किये जाने लगा है। अतः ग्राहक अपने पिन नंबर (व्यक्तिगत पहचान संख्या) को गोपनीय एवं सुरक्षित बनाये रखें और एटीएम कार्ड हिफाजत भी नकदी की तरह करें।
- अपने एटीएम कार्ड एवं पिन नंबर को एक साथ न रखें और न ही कार्ड के ऊपर पिन नंबर को लिखे।

एटीएम के लाभ

- एटीएम कार्ड से अतिरिक्त राशि प्रबंधन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, इसने आम आदमी के जीवन को सुखद बना दिया है जो एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है, इससे भुगतान के क्षेत्र में क्रांति सी आ गई है। अतः एटीएम के निम्न लाभ हैं:–

(अ) बैंक की दृष्टि से

- कम स्थान की आवश्यकता ।
- शाखा खोलने की तुलना में कम पूंजीगत व्यय की आवश्यकता।
- फोन पर अथवा ऑनलाइन किसी व्यक्ति के द्वारा अथवा बैंक द्वारा भी एटीएम का कार्ड नंबर मांगे जाने पर बिल्कुल भी न दें, क्योंकि बैंक ऐसी सूचना नहीं मांगता है।
- किसी अन्य व्यक्ति को अपना एटीएम कार्ड तथा पिन नंबर प्रयोग करने के लिए न दें।
- बैंक में अवधि समाप्त होने पर पुराने कार्ड को जमा करने से पूर्व उसे अनिवार्य रूप से बंद करा दें।
- केवल उन्हीं कार्डो को अपने साथ रखें जिनका प्रयोग करने की अनिवार्यता अथवा अधिक आवश्यकता हो।
- बैंक से नए एटीएम कार्ड प्राप्त करते समय शीघ्रति–शीघ्र उस पर अपने हस्ताक्षर सुनिश्चित करें।
- ग्राहक द्वारा अपने एटीएम कार्ड के नंबर, उनकी वैद्यता की तिथि, उनके फोन नंबर और प्रत्येक बैंक के पते का रिकार्ड किसी सुरक्षित स्थान पर बनाकर रखे।
- अपने एटीएम कार्ड जिनका पिन नंबर हो, उसको पूर्ण गोपनीय रखें तथा पिन नंबर के रूप में अपनी जन्मतिथि, फोन नंबर, शादी की तारीख तथवा घर के नंबर को कतई प्रयोग न करें।
- पिन नंबर को साथ रखने के बजाय हमेशा याद रखे।
- अपने एटीएम के पिन नंबर को प्रत्येक दो माह के अंतराल पर बदलते रहें।
- जहां पर आप अपने एटीएम कार्ड अथवा पिन नंबर रखते हो उस स्थान पर धोखाधड़ी की घटनाओं के बारे में भी पूर्ण सावधानी बरतें।

(ब) एटीएम के संबंध में

- जब आप एटीएम का प्रयोग कर रहे हों तथा उसका दरवाजा आपके कार्ड से खुला हो तो ध्यान रखें कि आपके साथ दूसरा कोई व्यक्ति प्रवेश न कर सके और आपके अंदर जाने पर यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पीछे एटीएम का दरवाजा पूर्ण रूप से बंद हो।
- ऐसे एटीएम का चयन करें जिसमें पूर्ण प्रकाश एवं कैमरे की व्यवस्था हो अथवा सुरक्षा गार्ड उपलब्ध हो।
- एटीएम में कम से कम समय व्यतीत करें इसके लिए अपने कार्ड को पहले से ही तैयार रखें और यदि आपको धनराशि जमा करनी हो तो जमा पर्ची घर से ही भरकर ले जाएं ।
- एटीएम मशीन के की बोर्ड पर पिन नंबर टाइप करते समय हाथ एवं उंगलियों को तेजी से उपयोग करे ताकि बाहर से कोई व्यक्ति आपके पिन नंबर को भांपकर उसका पता न लगा सके।
- यदि एटीएम मशीन कार्य न कर रही हो अथवा आपके कार्ड को स्वीकार न कर रही हो तो अपने पिन नंबर को दोबारा से कोई व्यक्ति आपके पिन नंबर को भांपकर उसका पता न लगा सके।
- यदि एटीएम मशीन कार्य न कर रही हो अथवा आपके कार्ड को स्वीकार न कर रही हो ते अपने पिन नंबर को दोबारा न दबाएं और बैंक से तुरंत संपर्क करें।
- केवल उसी एटीएम का प्रयोग करें जहां और जब आप पूर्ण आरामदायक एवं सुरक्षित महसूस करते हो।
- एटीएम मशीन का प्रयोग करने से पूर्व यदि कोई संदिग्धता दिखायी दे तो किसी दूसरे एटीएम का प्रयोग सुनिश्चित करें।
- ऐसे एटीएम कभी प्रयोग न करें जहां पर किसी गड़बड़ी अथवा संदेहास्पाद लोगों के होने की आशंका दिखायी देती हो।
- यदि किसी एटीएम की स्क्रीन पर पहले से ही कोई संदेश अथवा चिन्ह स्थायी रूप से दिखायी दे अथवा स्क्रीन की दिशा बदली हुई दिखाई दे तो ऐसे एटीएम का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए।
- यदि एटीएम मशीन पर लेनदेन में असमर्थता का संदेश आया हो तो एटीएम कार्ड का उपयोग कदापि न किया जाए।
- यदि एटीएम सुनसान जगह पर हो तो वहॉ जाने से बचना चाहिए।

(स) धन निकासी के संबंध में

- ध्यान रखें अपना एटीएम कार्ड लेनदेन के उपरान्त एटीएम मशीन के पास न छोड़ें।
- जब आप एटीएम मशीन पर लेनेदेन कर रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान वहीं पर लगाएं और मोबाईल पर बातें न करें।
- एटीएम में एटीएम कार्ड का उपयोग करते समय अनजान व्यक्ति की मदद नहीं लेनी चाहिए।
- एटीएम में लेनदेन जैसे ही पूरा हो, एटीएम मशीन पर कैंसिल का बटन दबाकर ही बाहर निकलें।
- एटीएम में धनराशि के प्रदर्शित न करें और सुरक्षित रखकर एटीएम से बाहर निकलें और उसकी गणना बाद में अपनी कार, घर अथवा सुरक्षित स्थान पर पहुॅचने के बाद ही करें।

(द) आस–पास के संबंध में

- एटीएम का प्रयोग करते समय अपने और गार्ड के चारों ओर सावधानीपूर्वक देखें तथा कैमरे की स्थिति पर भी ध्यान दें और किसी भी संदिग्धता से बचें।
- अगर आपको अपने आसपास सब कुछ सही न लगे तो जहां आप सुरक्षित महसूस करें ऐसे एटीएम अथवा बैंक शाखा का उपयोग करें। यदि संभव हो तो बैंक शाखा के पास अथवा शाखा के अन्दर लगी एटीएम मशीन का ही प्रयोग करें, क्योंकि अपराधी लोगों द्वारा ऐसी मशीनों पर अधिक गड़बड़ की संभावना रहती है, जो बैंक शाखा से दूरी पर स्थित है।
- यदि एटीएम के पास कोई अपराध अथवा संदिग्ध गतिविधि दिखायी दे तो उसकी सूचना तुरंत बैंक एवं पुलिस को दें।
- अगर आपकों कोई संदिग्धता दिखाई दे तो तुरंत अपने एटीएम का लेनदेन निरस्त कर, वहां से हट जाएं और जितना जल्दी हो सके अपनी बैंक शाखा से यह सुनिश्चित करें कि वह लेनदेन वास्तव में निरस्त हो गया।

(शेष पृष्ठ 8 पर)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा भोपाल में

सहकारिता विभाग के वसूली अधिकारियों को वसूली प्रक्रिया एवं प्रावधान विषय पर प्रशिक्षण

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा दिनांक 14 मार्च से 15 मार्च तथा 18 मार्च से 19 मार्च तक सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में सहकारिता विभाग के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षकों को वसूली प्रक्रिया एवं प्रावधान विषय पर 2-2 दिवसी प्रशिक्षण दिया गया। इन प्रशिक्षणों में 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अतिथि व्याख्याताओं द्वारा प्रशिक्षण में वसूली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों तथा प्रक्रिया पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया।

14 मार्च 2019

15 मार्च 2019

18 मार्च 2019

19 मार्च 2019

(पृष्ठ 7 का शेष)

एटीएम धोखाधड़ी से ....

- जब आप एटीएम का उपयोग कर रहे हों तो उसके अन्य खिड़की एवं दरवाजे पूर्णतः बन्द हों, सिवाय निकासी द्वार के।
- जब आप आंतरिक एटीएम का प्रयोग कर रहे हों तो यह सुनिश्चित कर लें कि कार का इंजन बन्द कर, गाड़ी को लॉक कर दिया है और चाबी स्वयं के पास है।
- यदि आप सूर्यास्त के बाद एटीएम का उपयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि पार्किंग एरिया और पैदल रास्ते पर पूर्णतः प्रकाश की व्यवस्था है। अच्छा हो आप अपने साथ किसी को लेकर जाएं फिर भी अगर आप किसी समस्या को महसूस करते हैं तो किसी दूसरे एटीएम का प्रयोग सुनिश्चित करें।
- यदि आप एटीएम में लेनदेन की प्रक्रिया शुरू कर चुके हो और बीच में कोई समस्या अथवा व्यवधान उत्पन्न हो जाए तो तुरंत लेनदेन निरस्त कर अपना कार्ड सुरक्षित कर, वहां से हट जाएं और किसी दूसरे एटीएम पर जाएं अथवा कुछ समय पश्चात पुनः उस एटीएम का प्रयोग करें।

(य) कार्ड के चोरी अथवा खोने के संबंध में

- एटीएम कार्ड के खोने एवं चोरी हो जाने पर तुरंत बैंक को सूचित करें ताकि उसके अनाधिकृत उपयोग को रोका जा सके।
- यदि एटीएम कार्ड चोरी हो गया हो तो उसकी सूचना पुलिस को दें और ऐसे खाते को बंद कर नया खाता खुलवाएं और नया एटीएम कार्ड, पिन नंबर प्राप्त कर लें।
- यदि एटीएम के द्वारा प्राप्त मिनी स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ी दिखाई दे तो तुरंत बैंक को सूचित करें अन्यथा आपका जोखिम बढ़ जायेगा।
- यदि आपके संज्ञान में आए कि कोई लेनदेन आपके द्वारा नहीं किया गया है अथवा आपके खाते का शेष अचानक से कम हो रहा है तो ऐसी समस्या को तुरंत बैंक को विशेष फोन नंबर पर सूचित करें।

(र) अन्य गतिविधियों के संबंध में

- सदैव एटीएम से निर्गत पर्चियों को सम्भाल कर रखें उन्हें एटीएम में न छोड़ें क्योंकि उन पर खाते से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी होती है।
- एटीएम द्वारा डेबिट कार्ड से दूसरे के खाते में धन स्थानांतरण के संबंध में पिन एंटर करने से पहले सावधानीपूर्वक जांच लें कि निश्चित धनराशि एवं सही खाते में ही आपके खाते से स्थानांतरित हो रही है।
- एटीएम कार्ड को अपनी उपस्थिति में ही स्विप करने को कहें क्योंकि अक्सर कार्ड बदलकर धोखाधड़ी हो सकती है।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।